न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **566/2022**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1.चन्द्राराम पुत्र लादूराम के का0मु0:– 1.1 बुधाराम पुत्र चन्द्राराम 1.2 चम्पालाल पुत्र चन्द्राराम 1.3 रूकमादेवी पुत्री चन्द्राराम जातियान चौकीदार निवासी–रामावास खुर्द तहसील जैतारण जरिये आम मुख्तयार ओमप्रकाश पुत्र नारायणलाल रेगर निवासी–ग्राम लासनी, तहसील जैतारण जिला पाली।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधि. 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 08.04.2021 जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली द्वारा प्रकरण संख्या 02/2021 बअनवान चन्द्राराम के वारिसान बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री श्यामसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 24 अप्रेल, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खातेदारी, हक हकूक, कब्जा–काश्त उपयोग उपभोग एवं स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम सोमावास तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा न0 24/124 में रकबा 26.00 बीघा किस्म बारानी दोयम स्थित है जो भूमि अपीलांट के पिता चन्द्राराम पुत्र लादूराम के द्वारा तत्कालीन खातेदार श्रीमती अमरकंवर पुत्री गंभीरमल पत्नि गुलाबमल ओसवाल भण्डारी, निवासी– कलकता से दिनांक 01.09.1978 को जरखरीदसुदा है। जो दिनांक 30.12.1978 को उपपंजियक कार्याल जैतारण में पंजीबद्ध है। जिस भूमि पर वक्त खरीद से आज तक अपीलांट के पिता का अधिकार, अधिपत्य, काश्त, उपयोग एवं उपभोग रहा। उनके देहान्त पश्चात अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहा है। उपरोक्त आराजी पूर्व में दौलतमल पुत्र गणेशमल कौम महाजन साकिन जैतारण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही। दौलतमल के देहान्त के बाद उसके विधिक वारिसान विजयमल व गंभीरमल के नाम दर्ज रही। गंभीरमल के देहान्त उक्त भूमि गंभीरमल के विधिक वारिसान पुत्र महेन्द्र, पुत्र अरूण, पत्नी कमला, पुत्री अमरकंवर के नाम दर्ज रही। अमरकंवर के हिस्से में ख0सं0 24 मीन रकबा 167.10 बीघा रही जिसमें से अमरकंवर के द्वारा अपीलान्ट के पिता चन्द्राराम को जरिये पंजीबद्व बेचान 26.00 भूमि बेचान की गई। जिस बेचाननामें अनुसार चन्द्राराम का नाम राजस्व रेकर्ड में ख0सं0 24/124 दर्ज हुए। उक्त जमीन के पूर्व खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल के नाम दर्ज थी। दौलतमल पुत्र गणेशमल के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, जैतारण में सिलिंग कानून (पुराना) के तहत प्रकरण संख्या 7/1969 दर्ज कर कार्यवाही

अमल में लाई गई। बाद कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, जैतारण ने खातेदार दौलतमल के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुए आदेश दिनांक 09.04.1971 के जरिये दौलतमल के विरूद्व चल रहे उपरोक्त सिलिंग के प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात् सिलिंग कानून (नया) के तहत भी उक्त दौलतमल पुत्र गणेशमल के विरूद्व सिलिंग कानून के तहत कार्यवाही अमल में ली गयी जिसमें भी दौलतमल के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुए दिनांक 10.10.1975 को कार्यवाही ड्रॉप कर दी गयी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 7 (574) राज./सी/76 जयपुर दिनांक 05.11.1987 के तहत दौलतमल पुत्र गणेशमल के विरूद्व पूर्व में निस्तारित हुए उपरोक्त प्रकरणों को रिओपन करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली को प्रेषित किये गये। जिस पर ए.डी.एम (सिलिंग), पाली के यहां प्रकरण संख्या 326/1994 बअनवान स्टेट बनाम दौलतमल विजयमल व अन्य दर्ज कर विचारण किया गया। जिसमें बाद ट्रायल अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.1996 के द्वारा खातेदार दौलतमल के पास कुल 284.5 स्टेण्डर्ड एकड भूमि होना माना एवं निर्धारित किया कि दौलतमल 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही धारित करने का अधिकारी है। फलस्वरूप शेष 254 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहित करने का आदेश प्रदान किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.1996 की पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा नामा0 सं0 150 दिनांक 02.08.1996 के अनुसार खातेदार दौलतमल के नाम दर्ज कृषि भूमि सहित अपीलांट की खसरा न0 24/124 रकबा 26.00 बीघा कृषि भूमि को भी अधिग्रहित करते हुए राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गयी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 के विरूद्व पूर्व खातेदार दौलतमल के वारिसान विजयमल व गंभीरमल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील सख्यां 94/1998 व 95/1998 पेश की गयी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त अपीलो को बाद सुनवाई स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 07.09.98 के जरिये अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 25.07.96 को निरस्त करते हुए प्रकरणों को पुनः निर्णय हेतु उन्हें रिमाण्ड किया। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 07.09.1998 की पालना में प्रकरण रिमाण्ड होकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली में प्रकरण संख्या 145/2006 बअनवान स्टेट बनाम विजयमल वगैरा दर्ज होकर प्रकरणों को बाद सुनवाई पुनः निर्णित किया गया जिसमें निर्णय दिनांक 20.07.2007 के तहत अप्रार्थी खातेदारों के पास सिलिंग सीमा से कम की आराजी भूमि होना मानते हुए सिलिंग प्रकरणों को समाप्त करने का निर्णय पारित किया गया। रिमाण्ड ट्रायल के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2007 के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में सिलिंग अपील पेश की गई जो अपील संख्या 8589/2007 बअनवान राज. सरकार बनाम दौलतमल पुत्र गणेशमल (मृतक) जरिये वारिसान दर्ज की गयी। जिसमें बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 05.07.2017 को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील को खारिज किया गया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 20.07.2007 की पुष्टि की। माननीय राजस्व

मण्डल, अजमेर का निर्णय दिनांक 05.07.2017 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 20.07.2007 के विरूद्व अब कोई अपील या अन्य किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। उक्त दोनों निर्णय अन्तिम निर्णय हो चुके है। फलस्वरूप ए. डी.एम (सिलिंग), पाली के आदेश दिनांक 25.07.1996 की पालना में भरे गये म्यूटेशन संख्या 150 दिनांक 2.08.1996 के जरिये दौलतमल सहित अन्य खातेदार/अपीलांट की कृषि भूमि खसरा सं0 24/124 रकबा 26.00 बीघा जो अधिग्रहित कर राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर दी गयी उसे पुनः अपीलांट के पक्ष में दर्ज करवाने हेतु अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का पेश किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 को अस्वीकार कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई लिखित बहस पेश करते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, नैसर्गिक न्याय, नियम एवं अभिलेखो पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि उपरोक्त निर्णयों अनुसार खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल वगैराह के पास माननीय न्यायालयों द्वारा सिलिंग सीमा से कम आराजी मानते हुए सिलिंग प्रकरणों को समाप्त किया जा चुका है। ऐसें में जब मूल खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि धारित होने का निर्णय हो चुका है तथा एडीएम (सिलिंग) पाली का निर्णय दिनांक 25.07.1996 भी निरस्त हो चुका है तो उसकी पालना में भरे गये म्यूटेशन संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के जरिये राजस्व रेकर्ड में हटाई गयी प्रविष्टियों को पुनः प्रत्यास्थापित किया जाना कानूनन आवश्यक है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा न0 24/124 रकबा 26.00 बीघा ग्राम सोमावास अपीलांट की खातेदारी की भूमि रही है। भूमिधारी द्वारा हस्तान्तरण दस्तावेज को वैधानिक मानते हुए भूमिधारी की खातेदारी में अंकित भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं होने से सिलिंग प्रकरण को खारिज किये जाने बाबत् निर्णय दिनांक 20.07.2007 को अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर,(सिलिंग) पाली द्वारा पारित किया गया है जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.7.2017 के जरिये बहाल रखे जाने के आदेश दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली के आदेश दिनांक 25.07.1996 की निरस्ती के उपरान्त उक्त निर्णय की अनुपालना मके स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 150 के तहत अपीलांट की खातेदारी आराजियात की प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड से हटाई जाकर सिवाय चक दर्ज की गयी है जो कि निर्णय दिनांक 25.07.1996 की निरस्ती उपरान्त पुनः अपीलांट के नाम अंकन की जानी हैं जिसकी पुनःस्थापना किये जाने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय के मार्फत निरस्त करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि हो गयी है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया की अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात का मौके पर अपीलांट का शामलाती कब्जा काश्त चला रहा है। अपीलांट द्वारा उसे काबिल काश्त बनाया गया है। एकमात्र भूमिधारी खातेदार को पक्षकार कायम कर उनके विरूद्व सिलिंग

की कार्यवाही की जाकर निर्णय दिनांक 25.07.1996 को भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये गये है जो आदेश भी उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 20.07.2007 के जरिये अपास्त किया जा चुका है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी को खारिज कर भारी कानूनी भूल की है जो अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता चन्द्रारामें पुत्र लादूराम द्वारा तत0 खातेदार अमरकवर से जरखरीदशुदा कृषि भूमि अब किसी रूप में सिलिंग से प्रभावित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में मुख्य रूप से दो विनिश्चयों यथा सिलिंग कार्यवाही में प्रकरण में वर्णित विक्रय पत्र को मान्यता दी गई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी की ओर से पत्रावली मे पेश नहीं किया तथा सिलिंग कार्यवाही में प्रार्थी किसी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे है विधिक रूप से धारा 144 के तहत आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जो उस कार्यवाही एवं मुकदमें में पक्षकार रहा हो, के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। फलस्वरूप राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के स्थान पर अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। धारा 144 सीपीसी में प्रतिपादित कानून अनुसार किसी निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में किये गये बदलाव को ऐसे निर्णय के अपास्त हो जाने पर राजस्व रेकर्ड में निर्णय की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है ऐसा प्रत्यास्थापन करायेगा जिससे पक्षकार, जहॉ तक हो सके, उस स्थिति में हो जायेगे जिसमें वे होते। हस्तगत अपील में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.96 की पालना में नामा0 संख्या 150 दिनांक 02.08.96 के जरिये अपीलान्ट के स्थान पर राज्य सरकार का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। अपीलान्ट आदेश दिनांक 25.07.96 एवं नामा0 स्वीकृति दिनांक 02.8.1996 अनुसार ग्राम पोमावास के ख0सं0 24/124 रकबा 26.00 बीघा के खातेदार था। ऐसें में अपीलान्ट धारा 144 सीपीसी पेश करने हेतु अधिकारिता रखता था। इसके अतिरिक्त मूल प्रकरण सरकार बनाम विजयमल वगैराह में पारित निर्णय 20.7.2007 में उक्त भूमि के सम्बन्ध में हुए हस्तान्तरण को सद्भावी माना है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.04.2021 को पारित किया गया है। तत्पश्चात कोविड–19(कोरोना महामारी) की द्वितीय लहर के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दिये जाने के कारण अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी तत्पश्चात् आंशिक अनलॉक होने पर अपीलांट द्वारा निर्णय की जानकारी प्राप्त कर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 28.06.2021 को प्राप्त करते हुए अपीलांट के द्वारा यह हस्तगत अपील पेंश की गयी है जो अन्दर म्याद है अतः उपरोक्त आधारों पर भी अपील अन्दर म्याद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णित की जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें तथा ख0सं0 24/124 रकबा 26.00 बीघा भूमि ग्राम सोमावास, तहसील जैतारण में दर्ज सिवायचक प्रविष्टि को हटाकर अपीलान्ट के नाम बतौर खातेदार पुनः प्रत्यास्थापित किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपने कथनों

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

के समर्थन में अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। आरआरडी 2013 पेज 113, आरआरडी 2019 पेज 589, आरएलडब्लू 2012 पेज 1243, राजस्व मण्डल के निर्णय इत्यादि।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने तथा उभयपक्ष को सुनवाई पक्ष रखने का अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से बहाल रखा जावें क्योंकि अपीलान्ट उपरोक्त सीलिंग कार्यवाही में पक्षकार नहीं था। प्रभावित पक्षकार व्यक्ति ही धारा 144 के तहत आवेदन कर सकता है। प्रार्थी द्वारा जिस विक्रय पत्र के आधार पर भूमि खरीद करना बताया है उक्त विक्रय पत्र को विधिक रूप से मान्यता दिये जाने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये थे। इस कारण से धारा 144 पोषनीय नहीं होने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो बहाल रखा जावे। अतः अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि श्री दौलतमल के वारिसान क्रमशः विजयमल, गंभीरमल मुख्यतः सिलिंग प्रकरण की कार्यवाही में पक्षकार नहीं रहे है, साथ ही भूमि को जरिये विक्रय पत्र खरीदना बताया गया है। उक्त सिलिंग कार्यवाही में विक्रय पत्र को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण चूंकि सिलिंग कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहे है। अतः धारा 144 सीपीसी के तहत विधिक रूप से आवेदन करने के भी हकदार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण के प्रस्तुत किये गये धारा 144 सीपीसी को खारिज किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर (सिलिंग), पाली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.4.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 25 अप्रेल, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त * जोधपुर *

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर